

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून

(अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य के सील हेतु आदेश)

दिनांक:- 13/10/26

पत्रांक: 2343 / वाद संख्या सी-0563/एस-10/2026

मौ0 फरमान,
27 गांधी रोड, गौरव होटल के पीछे,
देहरादून।

विषय- मा0 उच्चतम न्यायालय SLP (C) संख्या 8044-8045/2025 लोगनाथन बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य के अनुपालन में प्राधिकरण के वाद संख्या सी-0563/एस-10/2026 के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक विपक्षी मौ0 फरमान, द्वारा स्थल 27 गांधी रोड, गौरव होटल के पीछे देहरादून पर लगभग 35 गुणा 25 फिट क्षेत्रफल में प्राधिकरण से बिना मानचित्र स्वीकृत के टिन शैड की सहायता से व्यवसायिक कार्य हेतु दुकानों का निर्माण कार्य किये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कारण बताओं एवं स्थल पर अवैध निर्माण कार्य को रोकने हेतु नोटिस निर्गत करते हुए वाद संख्या सी-0563/एस-10/2026 योजित किया गया। उक्त वाद में सुनवाई हेतु दिनांक 10.09.2026 की तिथि नियत की गयी। नियत तिथि पर विपक्षी के अधिवक्ता श्री शबीर आलम खान सुनवाई में उपस्थित रहे, उनके द्वारा अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा गया। विपक्षी के अधिवक्ता श्री शबीर आलम खान द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में पत्रावली पर सुनवाई हेतु दिनांक 08.10.2026 की तिथि नियत की गयी, नियत तिथि पर विपक्षी एवं उनके अधिवक्ता सुनवाई में अनुपस्थित रहें, और न ही उनके द्वारा कोई स्वीकृति के अभिलेख एवं सन्तोषजनक प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया। जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी जानबुझकर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं एवं वाद में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं तथा वाद को लम्बित रखना चाहते हैं, जो न्यायोचित नहीं है।

अतः चालानशुदा अवैध/अनाधिकृत निर्माण में सील कार्यवाही के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प शेष नहीं रह जाता है। अतः उक्त परिस्थितियों में पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों के अध्ययन उपरान्त विपक्षी द्वारा स्थल पर किये गये चालानशुदा निर्माण के विरुद्ध सील के आदेश पारित किया जाना ही विधि सम्मत हैं।

आदेश

अतः मौ0 फरमान, द्वारा स्थल 27 गांधी रोड, गौरव होटल के पीछे देहरादून पर लगभग 35 गुणा 25 फिट क्षेत्रफल में प्राधिकरण से बिना मानचित्र स्वीकृत के टिन शैड की सहायता से व्यवसायिक कार्य हेतु दुकानों का निर्माण कार्य किये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत चालानशुदा निर्माण को सील करने के आदेश पारित किये जाते हैं। उक्त अनाधिकृत भवन निर्माण को प्राधिकरण द्वारा दिनांक 16/10/26 को सील किया जाना है।

अतः विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि सील की तिथि से पूर्व उक्त परिसर को खाली कर दें तथा स्थल पर उपस्थित रह कर सील की कार्यवाही निष्पादित करायें। विपक्षी की अनुपस्थिति में सील की कार्यवाही एक तरफा सम्पादित हो, विपक्षी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि स्थल पर लगायी गयी सील को न तो क्षतिग्रस्त करें और न होने दें, क्योंकि उक्त कृत्य शासकीय कार्य में बाधा डालना एवं सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने के समान है जो कि कानूनन दण्डनीय अपराध है। आदेश की एक प्रति स्थल पर चरपा हो तथा एक प्रति विपक्षी को तामिल की जायें।

संयुक्त सचिव/पीठासीन अधिकारी,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

क्रमशः(२)